राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 13/2017 एवं 14/2017 .....जिला.....उदयपुर.....

उनवान – मैसर्स रिषभ एसोसियेट्स उदयुपर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

23/1/2017

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राकेश मेहता एवं विभाग की ओर से श्री आर.के. अजमेरा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यह दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.20016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। दोनों अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अधिनियम की धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

अपील सं.	अवधि	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित शास्ति राशि	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा गया
1	2	3	4	5
13/2017	15–16	43,55,300	27,91,860	14,23,847
14/2017	16–17	9,91,905	6,61,270	2,97,572

दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय कि प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक से रखी जा रही है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। व्यवहारी द्वारा "गोरधन थाल" ब्राण्ड नाम का उपयोग करते हुये "Indian Rajasthani Gujarati Foods" परोसने का व्यवसाय किया जाता है। इस व्यवसाय के लिये अहमदाबाद के प्रसिद्ध ब्राण्ड "गोरधन थाल" से फर्म ने आपसी समझौते के जरिये इसी नाम से व्यवसाय करने की स्वीकृति प्राप्त की है। उन्होंने कथन किया कि उनका व्यवसाय किसी फ्रेन्चाइज एग्रीमेंट के तहत कार्यरत नहीं है बल्कि स्थानीय स्तर पर ही खाने के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री क्रय की जाती है एवं खाना बनाकर परोसा जाता है। उन्होंने यह तर्क दिया है कि उनके द्वारा Cooked food serve करने का व्यवसाय किया जाता है जो अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 202 से आच्छादित होने से 5.5 प्रतिशत कर वसूल किया जाकर जमा करवाया गया है। अधिसूचना संख्या 09.03.2015 के अन्तर्गत 15 प्रतिशत कर देयता उन ब्रान्डेड चेन आउटलेटस के लिए है, जो

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 13/2017 एवं 14/2017.....जिला.....उदयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/1/2017	इस अधिसूचना के अन्तर्गत उल्लेखित जंक फूड सर्व करते है इसमें Cooked Food शामिल नहीं है। अतः 14.5 प्रतिशत की कर देयता मानते हुये कर निर्धारण अधिकारी ने करदेयता निर्धारित की है, वह अविधिक है। अतः मांग राशियों के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों (उपरोक्त तालिकानुसार कॉलम संख्या 5) की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में व्यवहारी द्वारा "गोरधन थाल" ब्राण्ड नाम का उपयोग करते हुये "Indian Rajasthani Gujarati Foods" सर्व करने का व्यवसाय किया गया है। इस व्यवसाय के लिये अहमदाबाद के प्रसिद्ध ब्राण्ड "गोरधन थाल" से फर्म ने आपसी समझौते के जरिये इसी नाम से व्यवसाय करने की स्वीकृति प्राप्त की है। वैट शिड्यूल V प्रविष्टि संख्या 16(V) में Branded Chain outlet द्वारा सर्व किये जाने वाले Cooked Food को 14.5 प्रतिशत से कर देयता निर्धारित की गयी है। अतः ब्रांडेड चेन आउटलेट द्वारा सर्व किये जाने वाले Cooked Food पर कर देयता के निर्वचन का मामला विवादित है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में प्रतीत होता है। तथापि अपीलीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन अपीलों के गुणावुगण को बिना प्रभावित किये प्रस्तुत दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते हैं एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उनके समक्ष लम्बित अपीलों का निष्पादन इस आदेश की प्राप्ति के तीन माह में आवश्यक रूप से करें। दोनों अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। 23/1/2017 (के.एल.जैन) सदस्य 23.1.2017 (मदन लाल) सदस्य	